राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 7(5)प्राशि/आयो/2017 जयपुर, दिनांक: 06/09/2017.

आदेश

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 21.04.2017 के द्वारा B.Ed./D.El.Ed. के राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओ में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियो के लिए प्रथम वर्ष मे 4 सप्ताह एवं द्वितीय वर्ष मे 16 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम अनिवार्य रूप से राजकीय विद्यालयो मे ही किया जाना निश्चित किया गया है। **B.Ed./D.El.Ed. के प्रशिक्षाणार्थियो को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयो का आवंटन Online Internship Module के माध्यम से किया जाएगा।**

इस विभाग द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयो का आवंटन करने के सम्बन्ध में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 21.04.2017 एवं 20.06.2017 मे निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

1. रिक्त पदों की सूची पूर्व जारी आदेश क्रमांक प.7(5)प्राशि/आयो/2017 दिनांक 21.04.2017 के अनुसार राजकीय विद्यालयों में द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 15 जून को रिक्त पदों के अनुसार रहेगी।
2. महाविद्यालय सत्रवार प्रशिक्षणार्थियों का शाला दर्शन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा तथा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा आवंटित चरण के अनुसार सभी पात्र प्रशिक्षणार्थियो को इंटर्नशिप हेतु आवेदन करेगा। जिसमें 3 जिलों एवं चयनित जिलो के लिए वाछित क्रम मे ब्लॉक का चयन करेगा। महाविद्यालय प्रशिक्षणार्थियों से इंटर्नशिप आवेदन पत्र भरवाकर स्वयं के पास रखें।
3. इंटर्नशिप आवेदन को प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन देखा जा सकेगा किन्तु अन्तिम जिम्मेदारी महाविद्यालय की रहेगी।
4. निर्धारित समय सीमा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), प्रथम/द्वितीय/तृतीय वरीयता के अनुसार विद्यालय आवंटन करेंगें।
5. विद्यालय आवंटन हेतु क्रम निम्नानुसार रहेगा:–
   मॉडल विद्यालय, आदर्श विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उत्कृष्ठ विद्यालय, 100 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 60 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों के ग्रुप में रेण्डम आधार पर होगा तथा उपरोक्त क्रम मे **प्रथम वरीयता महिला प्रशिक्षणार्थियो की होगी।**
6. जिन प्रशिक्षणार्थियों ने Request Submit नहीं की उनकी Request समय सीमा के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) कार्यालय के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज की जाएगी तथा उनको विद्यालय का आवंटन राज्य स्तरीय Online Internship Module प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाएगा तथा आवंटित विद्यालय दण्ड स्वरूप अर्न्तजिला हो सकता है।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) महाविद्यालयों से निर्धारित समय सीमा में समस्त कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगें।
8. यदि कोई जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) निर्धारित समय में विद्यालय आवंटन का कार्य नहीं करता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) की रहेगी तथा उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
9. विद्यालय संस्था प्रधान प्रशिक्षणार्थी की इंटर्नशिप अवधि पूरी होते ही अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करेंगें।

इंटर्नशिप कार्यक्रम की निर्धारित समय सीमा निम्न प्रकार रहेगी :–

	इन्टर्नशिप प्रक्रिया	अन्तिम तिथि
1	महाविद्यालय लॉगिन एवं प्रोफाईल अपडेट	05.09.2017
2	जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा महाविद्यालयों हेतु चरण आवंटन	05.09.2017

6

www.rajteachers.com

3	प्रशिक्षणार्थियों का महाविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन	05.09.2017
4	प्रथम चरण हेतु Internship Request	15.09.2017
5	प्रथम चरण का प्रथम Allotment	18 एवं 19.09.2017
6	प्रथम चरण का द्वितीय Allotment	21 व 22.09.2017
7	प्रथम चरण का तृतीय Allotment	25 एवं 26.09.2017
8	प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विद्यालय में रिर्पोटिंग –	आवंटन के 7 दिवस में अनिवार्य रूप से

शेष यथावत रहेगा।

(सुनील कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
8. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा।
9. निदेशक, तकनीकी, एनआईसी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
10. समस्त संभाग शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
12. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ।
13. प्रभारी अधिकारी शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल।
14. रक्षित पत्रावली।

(एस.एन.यादव)
अनुसंधान अधिकारी

www.rajteachers.com